अपील सूचना अधिकार संख्या 36/2018(RCMS : 2018/00093)
अनवानी श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफडीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी–तहसीलदार, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25–06–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री शिवराज सिंह के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

वकील अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2018 को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर– प्रथम ने अपने पत्रांक फा/17/2014/ पार्ट–2/एएसओ–1 दिनांक 12.02.2018 से तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ को आवेदक का मूल प्रार्थना पत्र इस आधार पर भिजवाया कि मूल पत्रावली 716/83 दिनांक 27.08.1990 को विशेष वाहक श्री महावारी प्रसाद, एओके के साथ तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ को भिजवाई जा चुकी हैं अतः आवेदन को अपने स्तर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ ने पत्र क्रमांक 1110 दिनांक 13.04.2018 से सूंचित किया है कि वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी। इस प्रकार तहसीलदार, अनूपगढ जानबूझ कर अपीलार्थी प्रार्थी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही इसलिए तहसीलदार, अनूपगढ के वि☺ कार्यवाही की जाकर एवं भारी कोस्ट लगाकर प्रार्थी को हर्जाना दिलाया जावे और प्रार्थी को नकल दिलाये जाने का आदेश दिया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर-प्रथम ने अपने पत्रांक फा/17/2014/पार्ट-2/एएसओ-1 दिनांक 12.02.2018 से तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ को आवेदक का मूल प्रार्थना पत्र भिजवाते हुए निम्न प्रकार से लिखा है :

> संदर्भित आवेदन पत्र के क्रम में लेख है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना निर्णय दिनांक 20.07.1984 मिसल सं0 716/83 इस कार्यालय के अभिलेख कक्ष में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पत्रांक 4847 दिनांक 27.08.1990 के द्वारा तहसीलदार राजस्व अनूपगढ के विशेष वाहक श्री महावीर प्रसाद ए ओ के, के साथ भिजवायी जा चुकी है।
>
> अतः आवेदक का मूल प्रार्थना-पत्र संलग्न प्रेषित कर लेख है कि आवेदन में उल्लेखित वांछित सूचना अपने स्तर पर नियमानुसार निर्धारित समय में आवेदक को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करावें। आवेदन पत्र के रूप में प्राप्त 10/रू0 का पोस्टल आर्डर इस कार्यालय में जमा कर लिया गया है।

तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ ने अपने पत्र संख्या 1110 दिनांक 13.04.2018 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:-

> उक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई सूचना मिसल न0 716/83 निर्णय दिनांक 20.07.1984 इस कार्यालय में तलाश की गई, परन्तु काफी तलाश करने पर भी उपलब्ध नही हुई। इस बाबत और तलाश की जा रही है जैसे ही चाही गई पत्रावली मिल जाएगी आपको सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना का सम्बन्धित अभिलेख मिसल नम्बर 710/1983 निर्णय दिनांक 20.07.1984 है।उक्त अभिलेख राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर–प्रथम द्वारा पत्र क्रमांक 4847 दिनांक 27.08.1990 के द्वारा तहसीलदार, अनूपगढ को विशेष वाहक श्री महावीर प्रसाद, ए.ओ.के. के साथ भिजवाया गया है। सरकारी अभिलेख को सही ढंग से सुरक्षित रखना सम्बन्धित अधिकारी का कर्तव्य है। इसलिए तहसीलदार, अनूपगढ को हिदायत दी जाती है कि 15 दिवस के भीतर–भीतर सम्बन्धित अभिलेख तालाश कर अपीलार्थी को उक्त अभिलेख से वांछित सूचनाएं नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे और यदि सम्बन्धित अभिलेख तालाश करने पर उपलब्ध नहीं हो तो इस मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए सम्बन्धित थाना पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जावे। अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ को भिजवाई जाकर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी प्रार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवायें। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर